राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(74) ग्रावि/अनु-5/जीकोएम/न्यूनतम मजदूरी दर/ईओ 65508/2014–15 जयपुर, दिनांक 10 अगस्त, 2021

जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष,
जिला दर निर्णायक समिति,
जिला समस्त राजस्थान।

विषय :– अकुशल व अर्द्धकुशल (मेट) श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दर पुनरीक्षित करने के संबंध में।

प्रसंग :– श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एफ 8(5)(6) न्यू म अभि./आई आर./श्रम/2000/पार्ट/15340 दिनांक 30.07.2021।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रम विभाग द्वारा जारी प्रासांगिक अधिसूचना दिनांक 30.07.2021 के आधार पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा सम्पादित की जा रही विभिन्न केन्द्र व राज्य प्रवर्तित योजनाओं (महात्मा गांधी नरेगा योजना को छोडकर) में नियोजित अकुशल श्रमिक एवं अर्द्धकुशल श्रमिक (मेट) की न्यूनतम मजदूरी दर कमशः रूपये 252/– व रूपये 264/– प्रति दिवस पुनरीक्षित करते हुये इस आदेश के जारी होने की तिथि से प्रभावी की जाती है।

इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि श्रम विभाग की उक्त अधिसूचना दिनांक 30.07.2021 के द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी दरों का विभागीय निर्माण/विकास कार्यों के लिये उपयोग हेतु आदेश जारी होने की तिथि से लागू करने के साथ–साथ इन पुनरीक्षित न्यूतनम मजदूरी दरों का इन्द्राज/अपडेशन वर्ष 2021–22 की वर्तमान बीएसआर सॉफ्टवेयर में नही किया जावेंगा। अतः उक्त पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी दर एवं वर्ष 2021-22 बीएसआर सॉफ्ट में दर्ज/इन्द्राज न्यूनतम मजदूरी दर के अंतर राशि का भुगतान कार्य के तकमीने में पृथक से सम्मिलित करते हुए संबंधित कार्यकारी संस्था द्वारा उक्तानुसार अकुशल व अर्द्धकुशल (मेट) श्रमिक को किया जावे।

संलग्न:– उपरोक्तानुसार

(के.के. पाठक)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं परावि।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा।
6. निजी सचिव, आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, जयपुर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
8. अधिशाषी अभियंता, (अभि.) एवं सदस्य सचिव, जिला दर निर्णायक समिति, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
9. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।
10. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

अधीक्षण अभियंता, ग्रावि